परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांकः 815 रो/2021–08रो/कोविड/दिशा–निर्देश/20–वा.। दिनांक 26 अप्रैल, 2021

1.समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
2.समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त/डिपोज)
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः कोविड–19 के दृष्टिगत परिवहन निगम की बसों में बिना मास्क यात्रा अनुमन्य न करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि पूर्व में कोविड संक्रमण से बचाव हेतु निर्देश परिपत्र संख्या 816रो/प्र0प्र0(एम0आई0एस0)/कैम्प/2021–8रो/कोविड/दिशा–निर्देश/20 दिनांक 14 अप्रैल 2021 जारी किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कतिपय क्षेत्रों में यात्रियों को यात्रा के समय मास्क धारण करने के निर्देश का शत्प्रतिशत अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।

अतः कोविड–19 संक्रमण के बचाव हेतु बसों में यात्रियों को यात्रा कराने के सम्बन्ध में पुनः निम्नवत निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. बसों में ड्यिूटी के दौरान चालक/परिचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि बस में यात्रा करने से पूर्व कोई भी यात्री बिना मास्क के प्रवेश न करे और न ही उसे यात्रा की अनुमति प्रदान की जाय। निरीक्षण के दौरान बिना मास्क यात्रारत यात्री मिलने पर यात्री के अतिरिक्त परिचालक का भी दायित्व निर्धारित किया जायेगा।
2. डिपो में परिचालकों को बैगवाईज से रु0 10/– की दर से मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें परिचालक द्वारा बस के अन्दर बैठे बिना मास्क के यात्रियों को रु0 10/– प्रति मास्क की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. समस्त बस स्टेशनों पर संचालित दुकानों पर भी मास्क की बिक्री सुनिश्चित करायी जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपिः मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक),परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि केन्द्रीय कार्यशाला/डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर में मास्क बनवाकर समस्त क्षेत्रों को आवश्यकता के अनुरूप वितरण कराना सुनिश्चित करें।

(डी0वी0 सिंह)
प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक)